न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः- राजेन्द्र कुमार, आरजेएस,
डी जे केडर

दांडिक निगरानी प्रकरण संख्याः- 99/2025

1. **यशपालसिंह** गौदपुत्र रघुनाथसिंह, उम्र- 37 वर्ष,
2. **विक्रमसिंह** पुत्र नरपतसिंह, उम्र 39 वर्ष,
निवासीगण- सिराणा, पुलिस थाना जैतपुर, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)।

.....**निगरानीकर्तागण।**

बनाम

1. **राज्य सरकार** जरिये लोक अभियोजक, पाली (राज.)।
2. **अशोक** पुत्र मांगीलाल,
3. **मांगीलाल** पुत्र हंसाराम,
निवासीगण- सिराणा, पुलिस थाना जैतपुर, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)। ....**गैर निगरानीकर्तागण।**

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 10.10.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रोहट, जिला पाली, फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 01/2021 बअनवान सरकार बनाम यशपालसिंह व अन्य इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता।

उपस्थितः-

1. **श्री श्यामसिंह सोलंकी,** अधिवक्ता वास्ते निगरानीकर्तागण।
2. **श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित,** लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।
3. **श्री दौलत मकवाणा,** अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3

आदेश दिनांक 04.07.2026

1. यह निगरानी विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रोहट जिला पाली द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 145 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर विवादित भूखंड पर किया गया कुर्की आदेश तत्काल प्रभाव से समाप्त कर थानाधिकारी, पुलिस थाना रोहट (रिसीवर) को कुर्कशुदा संपति का कब्जा तत्काल प्रभाव से गैरसायल पार्टी संख्या 2 अशोक व मांगीलाल को सुपुर्द

करने के आदेश दिनांक 10.10.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट, जिला पाली ने दिनांक 05-04-2021 को इस्तागासा अंतर्गत 145 सीआरपीसी के तहत गैर सायल पार्टी संख्या 1 (1) यशपालसिंह गोदपुत्र श्री रुघनाथसिंह (2) श्री विक्रमसिंह एवं पार्टी संख्या 2 (1) अशोक पुत्र मांगीलाल, (2) मांगीलाल पुत्र हंसाराम के विरुद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त दोनों पक्षों के मध्य ग्राम सिराणा में स्थित आवासीय भूखंड पर कब्जा हेतु अपना हक जताते हुए विवादस्पद स्थिति बनी हुई है। दिनांक 15.03.2021 को प्रार्थी अशोक कुमार ने पुलिस थाना रोहट में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम सिराणा में कब्जाशुदा आवासी भूखंड है जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना है तथा कब्जाशुदा आवासीय भूखंड पर यशपालसिंह फर्जी पटटे के आधार पर अपना हक जताकर प्रताडित कर रहा है। प्रार्थी अशोक कुमार द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली में मुकदमा नंबर 04/2019 पट्टा खारिज करवाने हेतु निगरानी दायर की गई। मांगीलाल द्वारा सिविल न्यायालय पाली में मुकदमा नम्बर 146/2019 वाद दायर किया गया। वर्तमान में ठाकुर हुकम सिंह, आईदानसिंह, शैतानसिंह, नरपतसिंह एवं विक्रमसिंह द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार को दलित जाति का होने के कारण प्रताडित कर रहे हैं। जिसकी रिपोर्ट पर प्रकरण सं. 72 दिनांक 15.03.2021 धारा 447,427,385 आईपीसी व 3(1) (r).3 (2) (Va) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त दिनांक 18.03.2021 को प्रार्थी श्री विक्रमसिंह ने पुलिस थाना रोहट में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसके दादोसा रूघनाथसिंह के नाम का पटटासूदा रहवासीय नोहरा ग्राम सिंराणा की आबादी में स्थित है, रूगनाथ सिंह के जायन्दा औलाद नहीं होने से उनके जीवनकाल में यशपालसिंह को गोद लिया हुआ है, रूघनाथसिंह के जीवनकाल में उक्त पटटाशुदा नोहरे पर उनका बहैसियत मालिकाना कब्जा व अधिपत्य रहा है और उनकी मृत्यु के बाद यशपालसिंह के बहैसियत मालिक के कब्जा व अधिपत्य है और नोहरे के चारो तरफ तारबन्दी तथा कांटो की बाड़ की हुई हैं तथा मैन गेट पर लोहे का दरवाजा, जिस पर ताला लगा हुआ व यशपालसिंह वाईपीएस लिखा हुआ था तथा एक चदरपोश छपरा बना हुआ था। दिनांक 17.03.2021 को रात्रि के वक्त मांगीलाल, नरपत एवं अशोक एक राय होकर अन्य चार पांच व्यक्तियों के साथ मिलकर टेक्टर व टोली लेकर तथा एक सफेद रंग की कार लेकर नोहरे पर आये तथा नोहर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर दरवाजे तथा छीणों के टुकडे तथा नोहरे में बने हुए छपरे पर लगे हुए

सीमेन्ट की चदरे तथा लोहे की एंगले चुराकर ले गये तथा पिछली तरफ बनी हुई तारबन्दी को तथा छीणों के टुकडों को तोड़कर करीब 20 हजार रूपये का नुकसान पहुंचाया है। उक्त घटना पर प्रकरण स. 76 दिनांक 18.03.2021 धारा 447,427,379 भा.द.स. में प्रकरण दर्ज हुआ है। इसके अलावा दिनांक 19.03.2021 को प्रार्थीया श्रीमती डायली पत्नी मांगीलाल ने ट्रोमा वार्ड बैड संख्या 08 रा० बांगड चिकित्सालय पाली में पर्चा बयान दिया की वह अपने परिवार सहित गांव सिराणा में रहवासी पैतृक मकान में निवास करती है। दिनांक 19.03.2021 को वक्त करीब सुबह 10 एएम पर उनके गांव के ठाकुर हुकम सिंह, चन्द्रमानसिंह, गोपालसिंह, चन्दनसिंह, बीजसिंह, शेतानसिंह, नरपतसिंह, विक्रमसिंह तथा श्रवण सभी योजनाबन्द तरीके से उसके घर में अनाधिकृत प्रवेश कर मारपीट करने लगे, जिससे उनके चोटे आई इत्यादि। पर्चा बयान पर प्रकरण सं 77 दिनांक 19.03.2021 धारा 143, 452, 323, 354, 384 एवं 3(1)(r)(s)(2)(W)(i),3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज होकर जैर अनुसंधान है। थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में उक्त विवादित बाडे के संबंध में मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उभरपक्षों को इस्तागासा 78 दिनांक 14-08-2019, इस्तगासा संख्या 79 दिनांक 17-08-2019, इस्तगासा संख्या 17 दिनांक 18-03-2021 एवं इस्तगासा संख्या 14 दिनांक 24-02-2023 द्वारा पाबंद किया जा चुका है.....आदि। प्रकरण विरुद्ध गैरसायलान पार्टी नंबर 01 एवं गैरसायलान पार्टी नंबर 02 के अंतर्गत धारा 145 दं.प्र.स. के तहत दिनांक 05-04-2021 को दर्ज किया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश क्रमांक/न्याय/2021/2332 दिनांक 06-04-2021 अंतर्गत धारा 146 सीआरपीसी सरहद मौजा सिराणा आबादी में विवादित भूखंड पटटा संख्या 35 वर्ष 1960-61 की भूमि को एतद्द्वारा कुर्क कर थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट को रिसीवर नियुक्त किया गया। थानाधिकारी रोहट द्वारा विवादग्रस्त भूखंड का कब्जा प्राप्त कर फर्द दिनांक 14-04-2021 तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया।

3. गैरसायल पार्टी संख्या 01 यशपालसिंह व विक्रमसिंह की ओर से दिनांक 07-06-21 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त बाड़ा/नोहरा यशपालसिंह का मालिकानासुदा व अधिपत्यशुदा है, जिसका पटटा उसके मृतक पिता रूघनाथसिंह के नाम से पटटा संख्या 35 जरिये मिसल संख्या 11/60-61 के तत्कालीन ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा जारी किया हुआ है और मृतक रूघनाथसिंह के जीवनकाल में उक्त बाड़े/नोहरे पर उनका बहैसियत मालिक के कब्जा व अधिपत्य रहा है। यशपालसिंह मृतक रुघनाथसिंह का एकमात्र गोदीपुत्र व कानूनी वारिश है। उक्त वादग्रस्त

बाड़े/नोहरे का उपयोग व उपभोग यशपालसिंह बहैसियत मालिक के करता आ रहा है। उक्त बाड़े/नोहरे के चारों तरफ कांटो की बाड़ एवं कंटीले तारों की बाड़, लोहे की फाटक लगी है तथा मवेशियों के बांधने बाबत् छपरा बनाया हुआ है। गैरसायल संख्या 2 अशोक कुमार का वादग्रस्त बाड़े/नोहरे पर न तो कभी कब्जा था, न ही आज भी है। वादग्रस्त बाड़े/ नोहरे के संबंध में सिविल न्यायालय में दीवानी वाद संख्या 146/2019 विचाराधीन है। अशोक कुमार, उसके पिता मांगीलाल, भाई नरपत व अन्य लोगों द्वारा वादग्रस्त बाड़े/नोहरे पर जाकर दिनांक 17.03.2021 को तोड़ फोड़ की गई तथा सामान चोरी करके ले गये, जिसका विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 18.03.21 को पुलिस थाना रोहट में प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसके मुकदमा संख्या 76/2021 अन्तर्गत धारा 447, 427, 379 भा दस में दर्ज होकर जैर अनुसंधान है। अतः हाजा इस्तगासा विधि विरूद्ध तरीके से यशपालसिंह को उसके पट्टासुदा, अधिपत्यसुदा, मालिकानासुदा बाडे/नोहरे से जबरन बेदखल करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. गैरसायल पार्टी संख्या 02 मांगीलाल व अशोक की ओर से दिनांक 15-04-2021 व दिनांक 03-12-21 को प्रस्तुत क्लेम/जवाब व दिनांक 17-03-2023 प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिराणा में स्थित उनके मकान के पीछे आवासीय भूखण्ड/बाड़ा पर उनका करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार शांतिपूर्वक कब्जा उपयोग-उपभोग चला आ रहा है जिसमें उसके परिवार वाले मवेशी बांधते है तथा कृषि औजार, पशुओं का चारा व अन्य सामान रखते है। उपरोक्त पडोसियों एवं उनके बीच के बाड़ा/नोहरे के चारों ओर मांगीलाल द्वारा काटों की बाड़ व चारों ओर तारबन्दी की हुई है व निकलने के लिए एक दरवाजा भी लगा रखा है, जिसपर मांगीलाल का नाम भी लिखा हैं। उसके रहवासीय मकान दक्षिण में वीरमाराम का बाड़ा है जहां पर वीरमाराम के पुत्रों द्वारा मकान बना दिया है, पश्चिम में देवी का मकान बना हुआ है, जिसके पटटा संख्या 6302 है व लीला का बाड़ा है जिसके पटटा संख्या 6303 जिसके पूर्व में मांगीलाल वल्द हंसाराम का प्लॉट दर्ज है। गैरसायल पार्टी संख्या 02 द्वारा पंचायत निगरानी 04/19 अनवान अशोक बनाम ग्राम पंचायत वगैरह श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के न्यायालय दायर की गई। श्रीमान जिला कलेक्टर पाली ने निर्णय दिनांक 08.11.2021 अनुसार ग्राम पंचायत चेंडा द्वारा मिसल संख्या 11/1960-61 दायरा दिनांक 14.04.1961 दिनांक शून्य की पालना में जारी पट्टा संख्या 35 को खारिज फरमाया। गैरसायल पार्टी संख्या 02 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय पाली के वाद संख्या

11.12.23 146/2019 मांगीलाल बनाम यशपाल सिंह व वगैरह को विड्रो कर लिया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पचायत चेंडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रंमाक 51/2020 दिनांक 24.09.20 अनुसार आस-पड़ोस के पट्टों में दर्शित मांगीलाल वल्द हसाराम को ही विवादग्रस्त मुखण्ड का कब्जा एवं रहवास पाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायत चुनाव निर्वाचन नामावली वर्ष 2020 एवं 2021 में ग्राम सिराणा के वार्ड संख्या 06 के नक्शा अनुसार विवादग्रस्त बाड़ा/नोहरा पर गैरसायल पार्टी संख्या 02 का कब्जा दर्शाया गया है।

5. सरकार की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाहान तत्कालीन डीएसपी श्रवणदास व तत्कालीन एसएचओ जसवंत सिंह को परीक्षित करवाया गया तथा गैरसायल पार्टी संख्या 2 की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाहान एनएडब्ल्यू 1 अशोक कुमार, एनएडब्ल्यू 2 मांगीलाल, एनएडब्ल्यू 3 भोलाराम, एनएडब्ल्यू 4 पुखाराम, एनएडब्ल्यू 5 चौथाराम एवं एनएडब्ल्यू 6 को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाएः-

क्र.सं	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श- 1	विवादित आवासीय भूखंड/बाड़ा का नजरीनक्शा
2.	प्रदर्श- 2	पट्टा विलेख संख्या 6302
3.	प्रदर्श- 3	पट्टा विलेख संख्या 6303
4.	प्रदर्श- 4	श्रीमान जिला कलेक्टर महादेय पाली के निगरानी आदेश दिनांक 08-11-2021 की प्रमाणित प्रति
5.	प्रदर्श- 5	राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020
6.	प्रदर्श- 6	राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2021 वार्ड संख्या 06 के नक्शा की प्रमाणित प्रति
7.	प्रदर्श- 7	राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2021
8.	प्रदर्श- 8	राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली दिनांक 01-01-2021 को जारी व अंतिम प्रकाशन दिनांक 19-04-2021
9.	प्रदर्श- 9	ग्राम विकास अधिकारी ग्रामपंचायत चेण्डा की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक ST/225 दिनांक 24-09-2020
10.	प्रदर्श- 10	माननीय सिविल न्यायायल पाली के वाद संख्या 146/2019 मांगीलाल बनाम यशपालसिंह वगैरह में दिनांक 11-12-2023 की आदेशिका
11.	प्रदर्श- 11	एफआईआर संख्या 72 दिनांक 15-03-2021

12.	प्रदर्श- 12	एफआईआर संख्या 77 दिनांक 19-03-2021
12.	प्रदर्श- 13 से 20	वादग्रस्त भूखंड से संबंधित फोटोग्राफ्स
13.	प्रदर्श- 21	असल सीडी कैसेट
14.	प्रदर्श- 22	एफआर 76 दिनांक 18-03-2021
15.	प्रदर्श- 23	एफआईआर संख्या 76 में प्रस्तुत हालात मौका नक्शा रिपोर्ट
16.	प्रदर्श- 24 व 25	एफआईआर संख्या 76 में अति.पुलिस अधीक्षक की जांचरिपोर्ट

6. गैरसायल पार्टी संख्या 1 यशपालसिंह व विक्रमसिंह के विरुद्ध बावजूद नोटिस तामिल, अनुपस्थित होने से दिनांक 08-08-2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनकर थानाधिकारी पुलिस थाना, रोहट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण कर विवादित भूखंड पर किया गया कुर्की आदेश एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर थानाधिकारी, पुलिस थाना रोहट (रिसीवर) को कुर्कशुदा संपति का कब्जा तत्काल प्रभाव से गैरसायल पार्टी संख्या 2 अशोक व मांगीलाल को सुपुर्द करने का आक्षेपित आदेश दिनांकित 10-10-2025 पारित किया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

8. निगरानी पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई, आक्षेपित आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने प्रकरण को ट्रांसफर करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03-11-2023 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज की तत्पश्चात दिनांक 06-05-2025 को प्रकरण में पुनः सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें वकुलाय को पुनः नोटिस जारी करने की आदेशिका लिखी गई है किंतु वकुलाय को नोटिस जारी नहीं किए गए इसके विपरीत आगामी आदेशिका दिनांक 20-05-2025 को पक्षकार संख्या 1 को नोटिस बाद तामिल प्राप्त नहीं होना लिख पुनः नोटिस जारी होना अंकित किया। दिनांक 04-07-2025 को पक्षकार संख्या 1 की तामिल मानी गई जबकि पत्रावली में उपलब्ध नोटिसेज से स्पष्ट है कि नोटिस की पुश्त पर की गई तामिल रिपोर्ट विधिनुसार नहीं है, न ही नोटिस क्रमांक अंकित है। तामिल कुनिंदा द्वारा दो मौतबीरान पुखाराम एवं श्रवण से तामिल की तस्दीक करवाई है जबकि उक्त दोनों व्यक्ति स्वयं प्रकरण में गैरसायल पक्षकार अशोक एवं अन्य के हितबद्ध पक्षकार है। गैरसायल मांगीलाल वगैरह द्वारा पेश स्थगन

प्रार्थना पत्र संख्या 10/2019 में सिविल न्यायाधीश पाली द्वारा विवादग्रस्त भूंखड पर गैरसायलान अशोक व मांगीलाल का अधिकार व आधिपत्य नहीं मानते हुए No possession no Injunction के सिद्धांत के आधार पर खारिज किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श 2 व 3 देवी मेघवाल व लीला के पटटा दस्तावेज एवं प्रदर्श 09 ग्राम विकास अधिकारी रोहट की रिपोर्ट है जिसमें दर्शाये गए पडौस अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायल पक्षकार संख्या 2 का कब्जा माना है जबकि दस्तावेज प्रदर्श 4 आदेश जिला कलेक्टर पाली में उक्त पटटों को प्रमाणित साक्ष्य नहीं माना है। साथ ही प्रार्थीगण के दादा रघुनाथसिंह के पक्ष में जारी पटटे को प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर खारिज किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श 10 सिविल न्यायायल में विचाराधीन प्रकरण संख्या 146/2019 की आदेशिका है जिसके तहत वाद को प्रत्याहरित किया गया है किंतु स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विवादग्रस्त भूखंड से संबंधित एक एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 13858/2023 मांगीलाल बनाम राज्य पेश की हुई है जो विचाराधीन है। जिला कलेक्टर पाली द्वारा अप्रार्थी अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार करते हुए आदेश प्रदर्श 04 पारित किया गया है जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी सिविल रिट पिटीशन नं. 16075/2021 यशपाल सिंह बनाम जिला कलेक्टर पाली के विरुद्ध पेश की हुई है जो विचाराधीन है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-2021 को सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर, पाली के उक्त आदेश के प्रभाव एवं क्रियांविति स्थगित कर दिया गया है, जो स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करने तथा प्रकरण को विधिनुसार सुनवाई किए जाने हेतु रिमाण्ड किए जाने एवं विवादग्रस्त भूखंड का कब्जा रिसीवर को पुनः सुपुर्द किए जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान लोक अभियोजक एवं गैर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकार का विवादित भूखंड पर वैध व वास्तविक कब्जा नहीं मानकर गैर निगरानीकार को विवादित भूखंड का कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधता या अशुद्धता नहीं है। अतः निगरानी का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

11. जहां तक अधिवक्ता निगरानीकार का यह तर्क है कि निगरानीकर्ता अप्रार्थी संख्या 1 यशपाल सिंह पर नोटिस की तामील विधिवत रूप से नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के

अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.05.2025 की आदेशिका में यह उल्लेख किया गया कि "माननीय सेशन न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2025 की पालना में मूल पत्रावली प्राप्त हुई। वकुलाय को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।" वकुलाय को नोटिस जारी किए गए, किन्तु उसके पश्चात पक्षकार संख्या 1 निगरानीकर्ता को नोटिस भेजा गया फिर भी पक्षकार संख्या 1 निगरानीकर्ता अनुपस्थित होने के बाद दिनांक 04.07.2025 को आदेशिका में यह उल्लेख किया गया कि "पक्षकार संख्या 1 अनुपस्थित। पक्षकार संख्या 1 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। बावजूद नोटिस तामील पक्षकार संख्या 1 अनुपस्थित। पक्षकार संख्या 1 को उपस्थित हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18.07.2025 को पेश हो।" इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अप्रार्थी संख्या 1 के जो नोटिस उपलब्ध है, उनका अवलोकन किया गया। इससे जाहिर होता है कि यशपाल सिंह व विक्रम सिंह को नोटिस जारी किए गए थे। उक्त दोनों नोटिस की तामील थानाधिकारी, पुलिस थाना जैतपुर द्वारा कराई गई है, उसमें यह स्पष्ट अंकित है कि नोटिस जरिए चस्पानगी तामील करवाई गई। थानाधिकारी द्वारा तामील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई हेतु अंतिम अवसर दिया गया और उसके बाद भी एक और अवसर दिनांक 25.07.2025 को दिया गया और दिनांक 08.08.2025 को पूर्व में अंतिम अवसर दिए जाने और उसके बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया और जिरह बंद करने का आदेश दिया गया। चूंकि थानाधिकारी द्वारा चस्पानगी से तामील की कार्यवाही की गयी थी और उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थिति हेतु अवसर दिया गया था और निगरानीकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि थानाधिकारी किस प्रकार से उसके विरूद्ध गलत रिपोर्ट तामील की बाबत प्रस्तुत करेंगे अथवा जो उसका पता है, वह पता सही नहीं है। इस कारण से गलत नोटिस तामील करवाया गया हो। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थिति हेतु दिनांक 08.07.2025, 25.07.2025 को भी उपस्थित नहीं होने के पश्चात ही दिनांक 08.08.2025 को भी अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही कर जिरह बंद कर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी है। थानाधिकारी एक लोक सेवक है तथा उसके द्वारा गलत रिपोर्ट जारी करने का कोई कारण नहीं है। लिहाजा यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि निगरानीकर्तागण को नोटिस की तामील विधि अनुसार नहीं हुई हो। वकीलों

को नोटिस जारी नहीं किया गया तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता, क्योंकि उसके बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया गया था। अतः वकीलों को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं रहता है। दिनांक 05.03.2025 के सेशन न्यायालय द्वारा प्रकरण अंतरण के सम्बन्ध में आदेश पारित करने के समय दोनों पक्षकारान की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित थे। अतः वकुलाय पक्षकारान को अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहने की जानकारी भली-भांति थी। अतः तामील के सम्बन्ध में दिए गए समस्त तर्क सारहीन है।

12. उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्कों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान विवाद ग्राम सिराणा स्थित एक आवासीय भूखंड/बाड़ा/नोहरे पर वास्तविक एवं वैध कब्जे को लेकर निगरानीकर्तागण यशपालसिंह एवं विक्रमसिंह तथा गैर-निगरानीगण अशोक एवं मांगीलाल के मध्य उत्पन्न हुआ है। जिस पर दोनों पक्षों द्वारा दर्ज करवाई प्रथम सूचना रिपोर्टें पर पुलिस द्वारा संबंधित पक्षों को पाबंद किया गया। उक्त विवाद के चलते थानाधिकारी पुलिस थाना, रोहट द्वारा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी का पेश किया गया। तत्पश्चात विचारणीय न्यायालय ने दिनांक 06-04-2021 को सरहद मौजा सिराणा आबादी में विवादित भूखंड पटटा संख्या 35 वर्ष 1960-61 की भूमि को कुर्क कर थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट को रिसीवर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को तत्काल कुर्क कर कब्जे में लेने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट द्वारा की जाकर रिपोर्ट पुलिस थाना रोहट द्वारा प्रस्तुत की गई।

13. तत्पश्चात् गैर-निगरानी पक्षकार संख्या-1 यशपालसिंह ने प्रार्थना पत्र का जवाब/क्लेम प्रस्तुत कर स्वयं को स्वर्गीय रूघनाथसिंह का दत्तक पुत्र (गोद पुत्र) बताते हुए ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा रूगनाथ पुत्र रणजीत सिंह के नाम कथित रूप से जारी पट्टा संख्या-35, मिसल वर्ष 1960-61 के आधार पर विवादित भूखंड पर अपना अधिकार एवं कब्जा होना अभिकथित किया है। दूसरी ओर, गैर-निगरानी पक्षकार संख्या-2 मांगीलाल एवं अशोक ने भी अपना क्लेम प्रस्तुत कर स्पष्ट कथन किया है कि वे एवं उनके पूर्वज लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से विवादित भूखंड का निरंतर, शांतिपूर्ण एवं वास्तविक उपयोग-उपभोग तथा कब्जा करते आ रहे हैं।

14. तत्पश्चात् पत्रावली इस न्यायालय द्वारा तलब की गई जो पुनः दिनांक 06.05.2025 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पुनः प्राप्त हुई जिस पर पक्षकारान को पुनः नोटिस जारी किये गये। पार्टी संख्या 2 के नोटिस बाद

तामिल प्राप्त होने के पश्चात् भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 08.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 10.10.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

15. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता/पार्टी संख्या 2 यशपाल ने वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में मुख्यतः रघुनाथ के नाम से जारी पट्टा संख्या-35, मिसल वर्ष 1960 को आधार बताया है। उक्त पट्टे को निरस्त कराने के अशोक कुमार पुत्र मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत निगरानी को जिला कलेक्टर, पाली द्वारा स्वीकार कर आदेश दिनांक 08.11.2021 (प्रदर्श पी 4) द्वारा यशपालसिंह के दावे का आधार बने पट्टा संख्या-35 को निरस्त किया गया है। इस संबंध में निगरानीकर्ता का यह तर्क है कि उक्त पट्टे को मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर निरस्त किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा तथाकथित गैर-निगरानी पट्टा जारी करते समय आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यथा—पट्टा जारी करने के संबंध में सक्षम पंचायत का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, कार्यवाही रजिस्टर में ऐसा कोई प्रस्ताव अंकित नहीं पाया गया तथा पट्टे पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक का भी उल्लेख नहीं था। साथ ही उक्त पट्टे का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त पट्टे पर मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं है। इन मूलभूत वैधानिक त्रुटियों के कारण जिला कलेक्टर ने उक्त पट्टे को विधि सम्मत नहीं मानते हुए निरस्त किया है। अतः यह कहना कि पट्टा केवल तकनीकी आधार पर निरस्त हुआ, अभिलेखीय तथ्यों के अनुरूप नहीं है। अन्य कोई साक्ष्य निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जे व स्वामित्व को प्रदर्शित करने के हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक ST/225 दिनांक 24.09.2020 (प्रदर्श 9) जो अशोक कुमार द्वारा जानकारी चाहने हेतु प्रस्तुत परिवाद के क्रम में जारी किया गया है, में भी स्पष्ट रूप से पट्टा संख्या-6302 (देवी पत्नी भीमाराम मेघवाल) एवं पट्टा संख्या-6303 (लीला मेघवाल) की पूर्व दिशा में स्थित भूमि मांगीलाल पुत्र हंसाराम मेघवाल के नाम से दर्ज है। इसी क्रम में प्रदर्श 1 विवादित भूखंड का नजरीनक्शा में भी स्पष्ट से देवी पत्नी भीमाराम व लीला पत्नी मंगलाराम के मकानों के पूर्व में मांगीलाल का मकान/खाली भूखंड स्थित है। जिसके संबंध में निगरानीकर्ता का यह तर्क

है कि जिला कलेक्टर, पाली का आदेश दिनांक 08.11.2021 (प्रदर्श-4) में उक्त पट्टों को प्रमाणित साक्ष्य नहीं माना गया है। इस संबंध में आदेश दिनांक 08.11.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर ने आदेश में यह तथ्य अंकित किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा दो पड़ोसियों के वर्ष 2007 के पट्टे प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें पूर्व दिशा में प्रार्थी का प्लॉट अंकित है, किन्तु केवल इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पट्टा संख्या-35, मिसल वर्ष 1960 को निरस्त नहीं किया जा सकता। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त टिप्पणी का आशय मात्र इतना है कि पड़ोसी भूखंडों के सीमाविवरण (Boundary Description) को एकमात्र आधार बनाकर पट्टा संख्या-35 की वैधता अथवा अवैधता का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि जिला कलक्टर ने प्रदर्श-2 एवं प्रदर्श-3 में वर्णित सीमाविवरण अथवा उनमें अंकित पड़ौस संबंधी प्रविष्टियों को असत्य, अविश्वसनीय अथवा अमान्य घोषित कर दिया हो। अतः उपरोक्त अभिलेख विवादित भूखंड के संबंध में गैर-निगरानी पक्षकार संख्या-2 के वास्तविक कब्जे की पुष्टि करने हेतु महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, जिसे अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ समग्र रूप से पढ़ा जाना उचित है।

17. इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित गवाहान जसवन्त सिंह, एसएचओ सदर एवं श्रवणदास तत्कालीन सीओ, पाली ग्रामीण ने अपने बयानों में प्रथम दृष्टया विवादित स्थल पर मांगीलाल पुत्र हंसाराम का कब्जा प्रतीत होना कथन किया है। गैर सायल पार्टी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत गवाहान एनएडब्लयू 1 अशोक कुमार, एनएडब्लयू 2 मांगीलाल ने वादग्रस्त भूखण्ड पर स्वयं का कब्जा होना बताते है। अन्य गवाहान एनएडब्लयू 3 भोलाराम, एनएडब्ल्यू 4 पुखाराम, एनएडब्लयू 5 चौथाराम व एनएडब्लयू 6 दानाराम जो वादग्रस्त भूखण्ड के अडोस पडोस में निवासरत है, ने भी अपनी साक्ष्य में वादग्रस्त भूखण्ड पर मांगीलाल व उसके परिवार का कब्जा होना बताया है। यह भी स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वादग्रस्त भूखण्ड पर यशपाल सिंह, विक्रमसिंह का कभी भी कब्जा नहीं देखा।

18. इसके अतिरिक्त यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही में न्यायालय स्वामित्व का निर्णय नहीं करता, बल्कि विवाद की प्रासंगिक तिथि पर वास्तविक एवं शांतिपूर्ण कब्जे का निर्धारण करता है। हस्तगत प्रकरण में गैर-निगरानी पक्षकार संख्या-1 अपने कथित कब्जे के समर्थन में कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय एवं विधिसम्मत मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत गैर-निगरानी पक्षकार संख्या-2 ने राजकीय

अभिलेखों, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य, परिस्थितिजन्य दस्तावेजों तथा अन्य मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से विवादित आवासीय भूखंड/बाड़ा/नोहरा पर अपना वास्तविक, निरंतर एवं शांतिपूर्ण कब्जा साबित करने में सफल रहा है। अतः विचारण न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करते हुए विधिसम्मत निष्कर्ष निकाला कि गैरसायल पार्टी संख्या 1 न तो उक्त आवसीय भूखंड/बाड़े/नोहरे पर दिनांक 05.04.2021 को, ना ही पुलिस रिपोर्ट के दो माह पूर्व व न ही कभी वैध व वास्तविक कब्जा रहा और न ही साबित हुआ है, जबकि गैरसायल पार्टी संख्या-2 के पास ही उक्त आवासीय भूखंड/बाड़ा/नोहरा का निर्बोध कब्जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की अवैधता, अशुद्वता एवं अनौचित्यता नहीं पाए जाने से निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

आदेश

परिणामतः निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण **यशपालसिंह एवं विक्रमसिंह** की ओर से प्रस्तुत निगरानी एतदद्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की एक प्रति सहित लौटाई जावे।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

निर्णय आज दिनांक **04.07.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.06 15:54:12 IST